

श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2011 को सम्पन्न विभिन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की बैठक की कार्यवाही :-

● उपस्थित पदाधिकारी :-

1. कुलदीप नारायण जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. राजीव प्रसाद सिंह रंजन अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. विपिन कुमार सिंह उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. कुशेश्वर दास सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
5. भानू प्रकाश व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी आपदा प्रबंधन शाखा।
6. मुकेश कुमार अग्रवाल व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला सामान्य एवं शस्त्र शाखा।
7. आजाद शहाबुद्दीन व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला नीलाम पत्र पदा0, मुंगेर।
8. राजेश कुमार व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला विकास शाखा।
9. अजय कुमार तिवारी, व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला विधि शाखा, मुंगेर।
10. आशीष नारायण भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर।
11. आलोक कुमार व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी मंडल कारा, मुंगेर।
12. के0 के0 यादव जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
13. पंकज झा जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर।

● अनुपस्थित पदाधिकारी :-

1. मुर्शीद आलम जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर।
2. राम निवास पांडेय जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
3. ब्रज बिहारी शर्मा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
4. आमोद शरण जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।

● छुट्टी पर अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर पदाधिकारी :-

1. आलोक कुमार व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला स्थापना शाखा।
2. राजेश गुप्ता व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला राजस्व शाखा।
3. अमिताभ सिन्हा व0उ0स0, मुंगेर प्रभारी जिला नजारत शाखा।

गत बैठक में यह परिलक्षित हुआ कि विगत कई सप्ताहों में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का अक्षरशः एवं यथासमय अनुपालन वरीय पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिसपर अधोहस्ताक्षरी द्वारा खेद प्रकट करते हुए निदेश दिया गया कि साप्ताहिक बैठक में दिये गये निदेशों को प्राथमिकता देते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे एवं प्रगति प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

दिनांक 21.09.11 (बुधवार) को सम्पन्न हुई ग्राम विकास शिविर से संबंधित कई प्रखंडों से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी प्रखंडों के वरीय उपसमाहर्ता आज ही इस आशय का प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे कि बुधवार को आयोजित ग्राम विकास शिविर में कौन-से पदाधिकारी उपस्थित एवं अनुपस्थित थे। तत्पश्चात् प्राप्त प्रतिवेदनानुसार स्थापना उपसमाहर्ता, मुंगेर उक्त तिथि दिनांक 21.09.11 (बुधवार) को अनुपस्थित पदाधिकारियों के एक दिन का वेतन स्थगन हेतु संचिका अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला विकास शाखा यथाशीघ्र अक्टूबर माह में आयोजित होने वाले ग्राम विकास शिविर का कार्यक्रम निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे।

तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं तदनुसार विभिन्न शाखाओं के वरीय पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिये गये :-

1. जिला नीलाम पत्र शाखा (मो० शहाबुद्दीन, व०उ०समा० प्रभारी, जिला नीलाम पत्र, मुंगेर)

मो० शहाबुद्दीन को जिलाधिकारी ने उनकी भावी कार्य की प्रगति में वृद्धि लाने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- जिला स्तरीय/प्रखंड स्तरीय एवं थाना स्तरीय सभी बड़े बकायेदारों की वसूली के उपरान्त अद्यतन सूची मंगलवार तक निश्चित रूप से समर्पित करना ताकि बुधवार तक उक्त सूची को वेबसाईट पर अपलोड कराया जा सके।

2. जिला जन शिकायत कोषांग (मो० शहाबुद्दीन, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला जन शिकायत कोषांग, मुंगेर) :-

श्री शहाबुद्दीन को उनकी भावी कार्य योजनाओं की प्राथमिकता आधारित कार्यों पर शत-प्रतिशत उपलब्धि अर्जित करने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- प्रत्येक गुरुवार को आयोजित जिला जनता दरबार में आवेदकों को दिये जाने वाले प्राप्ति रसीद को modify करने के उपरान्त प्रविष्टि के दौरान परिलक्षित त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं सही रूप से डाटा इंट्री कराना सर्वोच्च प्राथमिकता।

3. जिला राजस्व शाखा (श्री आशीष नारायण, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मुंगेर) :-

श्री नारायण को साप्ताहिक कार्यों की प्रगति में तेजी लाने हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- बैठक में अपर समाहर्ता, मुंगेर द्वारा 40 सामुदायिक सूचना केन्द्रों में से 30 ऐसे सामुदायिक सूचना केन्द्रों की सूची समर्पित की गयी जिसमें संबंधित हल्का कर्मचारी के उक्त भवन में बैठने की अद्यतन स्थिति अंकित है, जिसे उन्होंने अंचल अधिकारियों से प्राप्त कर संकलित किया है, जो प्रथम द्रष्टया भ्रामक परिलक्षित होती है क्योंकि विगत दो दिन पूर्व अधोहस्ताक्षरी द्वारा खड़गपुर जाने के क्रम में ही सामुदायिक सूचना केन्द्र, शामपुर में विद्यालय संचालित होते देखा गया एवं तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी, खड़गपुर को निदेशित किया गया कि उक्त भवन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करें, तथापि समर्पित प्रतिवेदन में यह दर्शाया गया है कि उक्त सूचना केन्द्र में हल्का कर्मचारी बैठकर कार्यालय कार्य करते हैं जो सत्य से परे है। अतएव अंचल अधिकारियों द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जांच योग्य है। इस निमित्त अपर समाहर्ता सर्वप्रथम अंचलाधिकारियों के हस्ताक्षरित प्रतिवेदन की प्रति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अंचल के वरीय उपसमाहर्ता को उपलब्ध करायेंगे तदनुसार वरीय उपसमाहर्ता स्वयं उक्त सामुदायिक सूचना केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर यह प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि क्या वास्तव में अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन सही है अथवा नहीं। यदि उनका प्रतिवेदन सही नहीं पाया जाता है तो संबंधित अंचलाधिकारियों के विरुद्ध वास्तविकता के विपरित प्रतिवेदन देने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

- विदित है कि हल्कों की संख्या के अनुपात में हल्का कर्मचारी की संख्या कम है। इस हेतु अपर समाहर्ता, मुंगेर हल्का कर्मचारियों के सामुदायिक सूचना केन्द्र में बैठने हेतु दिवस निर्धारित कर एक रोस्टर तैयार करेंगे। कमोबेश इसी प्रकार पंचायत सचिवों के रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया उप विकास आयुक्त, मुंगेर द्वारा अपनायी जाय जिससे सभी संबंधित प्रखंड एवं अंचल के वरीय उपसमाहर्ता निरीक्षण के दौरान यह सुनिश्चित कर सकें कि उक्त दिवस को रोस्टर के अनुसार संबंधित हल्का कर्मचारी/पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित हैं अथवा नहीं।

- सर्वप्रथम सामुदायिक सूचना केन्द्रों के मुख्य दीवार पर पंचायत का नाम, रोस्टर के अनुसार कमियों की उपस्थिति इत्यादि को पेंट से अंकित कराया जाय।
- विभिन्न बैठकों में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को बार-बार प्रदत्त निदेश के बावजूद इस आशय का प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराना कि जिन पंचायत एवं हल्का में सामुदायिक सूचना केन्द्र का निर्माण हुआ है एवं यदि वहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है तो संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी/पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक/हल्का कर्मचारी उक्त सामुदायिक सूचना केन्द्र में बैठकर कार्यालय कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, से संबंधित प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त रहना सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के कार्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के निदेश की अवहेलना प्रदर्शित करता है जो किसी भी सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में अधोहस्ताक्षरी के अनुमति के बिना अगले आदेश तक सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों के वेतन की निकासी पर रोक लगाया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि कोषागार पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारा भेजे गये नये प्रखंड भवन असरगंज हेतु वर्तमान असरगंज प्रखंड के उत्तर और स्टेट हाईवे के बगल में चिन्हित 5 एकड़ भूमि का प्रारंभिक प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय ताकि सैद्धान्तिक अनुमोदन हो सके।
- इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण हेतु जमीन की पहचान कर मूल्यांकन कर आवंटन की मांग अधोहस्ताक्षरी के अनुमोदनोपरान्त यथाशीघ्र विभाग को भेजा जाय।
- जिला मुख्यालय एवं खड़गपुर/तारापुर अनुमंडल में जमीन चिन्हित करने के प्रश्न पर अपर समाहर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि खड़गपुर अनुमंडल में 30 एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है लेकिन तारापुर अनुमंडल का प्रस्ताव अप्राप्त है। इस हेतु निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम खड़गपुर एवं तारापुर अनुमंडल में जमीन चिन्हित जमीन का स्थल प्राक्कलन इस सप्ताह तक निश्चित रूप से तैयार करें। तत्पश्चात् जिला मुख्यालय के लिए लगभग 50 एकड़ की जमीन का प्रस्ताव भेजें।
- नये प्रखंड के लिए जमीन चिन्हित करना, प्रस्ताव तैयार कर भेजना एवं अन्य सभी कार्यों का अनुश्रवण अपर समाहर्ता, मुंगेर करते रहेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को इस तथ्य से अवगत कराते रहेंगे।
- खास महाल शाखा में विभिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा विभिन्न अंचलों से प्रतिनियुक्त अमीनों/हल्का कर्मचारियों (श्री विनय कुमार वर्मा, हल्का कर्मचारी एवं श्री भासो चौधरी, अमीन को छोड़कर) को उनके मूल पदस्थापन स्थान पर योगदान करने हेतु आदेश स्थापना शाखा से निर्गत किया जाय।

4. जिला पंचायत कार्यालय (श्री आमोद शरण, जिला पंचायती राज पदा0, मुंगेर) :-

पूर्व साप्ताहिक बैठक में दिये निदेश का अनुपालन अप्राप्त रहने के निमित्त गत बैठक में श्री शरण की कार्य योजना यथावत् रखी जाती है एवं निदेश दिया जाता है कि अपनी कार्यकुशलता में सुधार कर आगामी साप्ताहिक बैठक में निश्चित रूप से प्रदत्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे जो निम्न है:-

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से पंचायत निर्वाचन में हुए व्यय की विस्तृत विवरणी प्राप्त करेंगे।
- पंचायत निर्वाचन में जिले के खर्च के आधार पर आवंटन की मांग विभाग से करें।

- पिछले पंचायत कार्यकाल में विभाग द्वारा प्राप्त अधिसूचना के अनुसार ग्राम कचहरी के बैठने की जगह से संबंधित सूची आगामी बैठक के पूर्व अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

5. जिला विकास शाखा (श्री राजेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी जिला विकास शाखा, मुंगेर) :-

श्री कुमार को जिलाधिकारी द्वारा निम्न निदेश दिये गये :-

- कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना का प्रखंडवार एवं पंचायतवार विस्तृत सूची संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्राप्त कराने के पूर्व में दिये निदेश के अनुसार प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कार्यक्रम पदाधिकारी की टीम बनाकर उक्त योजनान्तर्गत सभी कब्रिस्तानों का भौतिक सत्यापन एवं GPS Mapping कराना तथा उक्त योजना की फोटोग्राफी कराकर सी0डी0 तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाय।
- दो साल के MLA कोटा के भवन का पंचायतवार सूची तैयार कराकर GPS Mapping कराने की कार्रवाई की जाय।

6. जिला नजारत शाखा (श्री अमिताभ सिंहा, वरीय उप समाहर्ता -सह- प्रभारी जिला नजारत शाखा, मुंगेर) :-

श्री सिंहा के अवकाश पर रहने के निमित्त पूर्व बैठक में दिये निदेश को यथावत् रखा जाता है जो निम्न है :-

- वरीय उपसमाहर्ता प्रभारी जिला विकास शाखा एवं नजारत शाखा संयुक्त रूप से फुटबॉल सामग्री क्रय हेतु संबंधी सचिका यथाशीघ्र प्रस्तुत करेंगे।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचीबद्ध आवश्यकतानुसार Relief equipment एवं पुस्तकालय सामग्री की खरीदगी इस सप्ताह तक निश्चित रूप से कर लिया जाय।
- समाहरणालय, मुंगेर में विद्युत बिल का पूर्णतः भुगतान होने के पश्चात् विद्युत प्रमंडल द्वारा बार-बार विद्युत बिल भेजे के निदान हेतु कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को स्मार पत्र प्रेषित करे।

7. सामाजिक सुरक्षा कार्यालय (श्री कुशेश्वर दास, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर) :-

श्री दास को जिलाधिकारी द्वारा साप्ताहिक कार्य योजना की प्रगति हेतु निम्न निदेश दिये गये :-

- आपके विभाग द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाएं, यथा-मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, बाल कल्याण समिति, रिमाण्ड होम, मूक बधिर बालक विद्यालय, वस्त्र वितरण, विकलांग छात्रवृत्ति इत्यादि का write up, दो साल के लाभार्थियों की सूची, सभी योजनाओं में व्यय विवरणी की अद्यतन स्थिति संबंधी प्रतिवेदन जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।



- अबतक जिले के वृद्धावस्था पेंशन से लाभान्वितों की अद्यतन सूची, जिसमें पूर्व के 29,000 पेंशनधारियों के अतिरिक्त आपके द्वारा करायी गयी कम्प्यूटरिकृत 3,000 एवं 4,000 पेंशनधारियों की सूची इस सप्ताह तक उपलब्ध करायें ताकि जिले के वेबसाईट पर यथाशीघ्र अपलोड कराया जा सके।

- सिविल सर्जन को इस आशय का पत्र निर्गत करें आपके द्वारा सर्वेक्षित विकलांगों की सूची बार-बार मांग किये जाने के बावजूद अबतक अप्राप्त है जिसके कारण मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना के लाभ से कई लाभुक वंचित हैं। अतः इस सप्ताह तक निश्चित रूप से सर्वेक्षित विकलांगों को निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र संबंधी संचिका कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय ताकि प्रखंडवार एवं पंचायतवार सर्वेक्षित विकलांगों की अद्यतन सूची कार्यालय में संधारित किया जा सके।
- पूर्व बैठक में दिये निदेश के क्रम में सभी अनुमंडल पदाधिकारी से पिछले वर्ष उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध व्यय की विवरणी प्राप्त करेंगे।
- श्री राजेश कुमार एवं सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा संयुक्त रूप से सदर प्रखंड में चल रहे मूक बधिर आवांसीय विद्यालय के भवन की स्थिति एवं हस्तांतरण में हो रही परेशानी के मद्देनजर स्थल निरीक्षण कर एक विस्तृत प्रतिवेदन की मांग पूर्व आयोजित साप्ताहिक बैठक में दी गयी थी। दोनों पदाधिकारी यह सुनिश्चित करगे कि संयुक्त रूप से प्रदत्त निदेश का अनुपालन प्रतिवेदन इस सप्ताह तक अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।

8. जिला कल्याण कार्यालय (श्री मीना सिन्हा, जिला कल्याण पदा०, मुंगेर) :-

श्री सिन्हा के कार्यालय कार्य की वजह से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के मद्देनजर पूर्व बैठक में जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निदेश यथावत रखे जाते हैं जिसकी समीक्षा आगामी साप्ताहिक बैठक में की जाएगी जो निम्न है :-

- वर्तमान में चल रही चयन की प्रक्रिया के उपरान्त महिला विकास निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही अल्पावास गृह/हेल्पलाईन एवं अन्य योजना जैसे सामाजिक पुनर्वास कोष योजना इत्यादि कार्यक्रमों के संचालन हेतु सभी संचिकाएं जिला प्रोग्राम कार्यालय को हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया।
- अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास के निर्माण की स्थलीय निरीक्षण समय-समय पर अवश्य करते रहें।
- Special Component Plan की विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को महादलित विकास मिशन अन्तर्गत बन रहे सामुदायिक भवन के संबंध में पत्र निर्गत करें कि आगामी विकास की बैठक में उक्त योजना से संबंधित प्रतिवेदन बैठक में अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

9. जिला प्रोग्राम कार्यालय (श्री ब्रज बिहारी शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर) :-

श्री शर्मा द्वारा बिना अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये बैठक से अनुपस्थित रहना उनकी कार्य कुशलता के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है। उनकी अनुपस्थिति के कारण उनके विभाग के साप्ताहिक कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी। यह अत्यन्त ही खेदजनक है। अतएव विगत सप्ताह में दिये गये निदेश की समीक्षा आगामी साप्ताहिक बैठक में यथावत् रखते हुए निदेश दिया जाता है कि भविष्य में जिला स्तरीय कोर समिति की बैठक में अनुपस्थित रहने की जानकारी से पूर्व में ही जिलाधिकारी को अवश्य अवगत कराये अन्यथा आपके इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचार के योग्य होगा। :-

- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों की सूची जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में दी गयी राशि के विरुद्ध व्यय विवरणी, वितरण की स्थिति एवं लाभार्थियों की सूची की मांग करना।

10. अन्यान्य :-

- जमालपुर एवं मुंगेर सदर में अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट एवं हाई मास्क लाईट के कार्यकारी एजेंसी एवं सम्बद्ध संवेदक को आगामी सप्ताह में बुलाया जाय तथा उसी दिन सम्पूर्ण कागजातों के साथ जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुंगेर/नगर परिषद, जमालपुर के साथ विचारणीय बिन्दु पर एक संक्षिप्त बैठक करना।
 - उप विकास आयुक्त, मुंगेर जिले में बनने वाले e-governance society की अद्यतन स्थिति से इस सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।
 - उप विकास आयुक्त, मुंगेर आगामी सप्ताह तक यह प्रतिवेदित करेंगे कि किन पंचायत सचिवों द्वारा स्थानान्तरण के बावजूद अबतक प्रभार का आदान-प्रदान नहीं किया गया है।
 - जिला शिक्षा पदाधिकारी आगामी तीन सप्ताह में खड़गपुर, तारापुर एवं संग्रामपुर प्रखंड में आंगनबाड़ी केन्द्रों की GPS Mapping करायेंगे।
 - जिला कृषि पदाधिकारी 08 विषय वस्तु विशेषज्ञ की सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि Block IT Assistant के साथ उनकी टीम बनाकर GPS Mapping का कार्य लिया जा सके। इस हेतु सर्वप्रथम उक्त सभी Block IT Assistant एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ को जिला परिषद सभागार में एकदिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 24.09.2011 को दिया जाएगा एवं उसी दिन उपरोक्त कर्मियों को डाटाबेस भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/27/09/11
(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2428...../गो0, दिनांक 28.09.2011

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/सभी वरीय उप समाहर्ता, मुंगेर जिला/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर /जिला कृषि पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/27/09/11
(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2428...../गो0, दिनांक 28.09.2011

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं जन्य सम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/27/09/11
(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2428...../गो0, दिनांक 28.09.2011

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/27/09/11
(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।